

व्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ६७०/एक/२००६ - विरुद्ध आदेश
दिनांक १३-३-२००६ - पारित द्वारा - आयुक्त, चम्बल संभाग,
मुरैना - प्रकरण क्रमांक ९८/२००३-०४ अपील

- १- सुधर सिंह २- बिनोद सिंह
- ३- अशोकसिंह पुत्रगण जलधारी
निवासीगण ग्राम सकराया
तहसील अटेर जिला भिण्ड

---आवेदक

विरुद्ध

- १- मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
(मृतक वारिस)
- १. मंशाराम २. रामसनेही
पुत्रगण स्व. मिश्रीलाल
- २- सिपाईराम पुत्र प्यारेलाल
(मृतक वारिस)
- १. पूरन २. होमसिंह ३- सुरेन्द्र
तीनों पुत्रगण सिपाईराम
- ३- पातीराम पुत्र प्यारेलाल
(मृतक वारिस)
- १. गरीवदास २. कल्लन ३. रोशन
तीनों पुत्रगण स्व. पातीराम
- ४- गरीवदास पुत्र पातीराम
- ५- कलियान पुत्र पातीराम
- ६- रोशनलाल पुत्र पातीराम
- ७- किशुनलाल पुत्र श्रीवेदी
- ८- नाथूराम पुत्र फोदल
- ९- राजवीर पुत्र रामभरोसे
- १०- लल्लेशकुमार पुत्र मोहरमन

सभी जाति कुम्हार निवासी ग्राम सकराया

क००प००३०-२

तहसील अटेर जिला भिण्ड

११- रामधन १२- हरनारायण १३- जलधारी

१४- नवावसिंह पुत्रगण तेजसिंह

१५- संतकुमार १६- दरमानी

दोंनो पुत्रगण मोहरमन

१७- मुस०भूरी पत्नि स्व०समोलन

सभी ग्राम सकराया तहसील अटेर

जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

(अनावेदक क्र. १,२,३ सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक १४ - १ - २०१६ को पारित)

(M)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक ९८/०३-०४ अपील में पारित आदेश १३-३-०६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार सुरपुरा को आवेदन देकर बताया कि वह ग्राम रमा की भूमि सर्वे नंबर २००७ (बंदोवस्त के पूर्व नंबर १९६७, १९६८, १९७३) रकबा १.२० हैक्टर पर २०-२५ वर्षों से खेती करते आ रहे हैं क्योंकि यह भूमि मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कुम्हार ने जुताई थी तभी लगान दी जा रही है अब उन्हें भूमिस्वामी अधिकार जाग्रत हो गये है इसलिये भूमि उनके नाम की जावे। नायव तहसीलदार सुरपुरा ने प्रकरण क्रमांक ८/९९-२००० अ-६-अ दर्ज किया तथा आदेश दिनांक १६-५-०१ से उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक ५/०३-०४ में पारित आदेश दिनांक २९-१-०४ से अपील अवधि-वाहय मानकर निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के यहां अपील होने पर


(M)

प्रकरण क्रमांक ९८/०३-०४ अपील में पारित आदेश १३-३-०६ से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार सुरपुरा को ग्राम रमा स्थित भूमि सर्वे नंबर १९६७, १९६८, १९७३ बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर २००७ रकबा १.२० हैक्टर पर २०-२५ वर्षों से खेती करते आना बताते हुये मिश्रीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कुम्हार द्वारा भूमि जुताने के आधार पर भूमि उनके नाम करने की मांग की थी अर्थात् मामला मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा १६९ सहपठित १९० के अंतर्गत विचारित होना था, जबकि आवेदकगण ने मूल दावा म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ११५ सहपठित ११६ के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार नायव तहसीलदार को मामला मात्र इन्हीं धाराओं के अधीन विचारित करना था, जबकि उन्होंने संहिता की धारा १६९ सहपठित १९० के अंतर्गत आदेश पारित किया है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या नायव तहसीलदार संहिता धारा १६९ सहपठित १९० के अंतर्गत किसी भूमिखामी की भूमि पर किसी अन्य कृषक को अधिपति घोषित कर भूमिखामी स्वत्व प्रदान करने हेतु सक्षम हैं ? (पंजाबसिंह तथा अन्य विलङ्घ ओछाबाबू तथा अन्य १९९२ रा.नि. २६६ उच्च न्यायालय डी०बी०) के न्यायिक दृष्टांत हैं कि (१) भू राजस्व संहिता, १९५९ (म०प्र०) - धारा १६९, १९० - प्रतिकूल कब्जे द्वारा हक का अर्जन - राजस्व न्यायालय ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अधिकारिता नहीं रखते । (२) भू राजस्व संहिता, १९५९ (म०प्र०) - धारा १६९, १९० - प्रतिकूल कब्जे द्वारा भूमिखामी अधिकारों का अर्जन - ऐसे प्रश्न का न्याय निर्णय करने हेतु संहिता के अधीन कोई उपबंध नहीं है - राजस्व न्यायालय को ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं है ।

1080 रा०नि० 516 (उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) प्रभेदित । स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार सुरपुरा ब्वारा पारित आदेश दिनांक 16-5-01 अधिकारिता विहीन है जिस पर गौर न करते हुये अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने आदेश दिनांक 29-1-04 से अपील समयवाहय मानकर निरस्त करने की त्रुटि की थी, जिसके कारण विद्वान आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 98/03-04 अपील में पारित आदेश 13-3-06 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/03-04 अपील में पारित आदेश 13-3-06 विधिवत् होना पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।


(एम०क०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश गवालियर